

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय/06/2017

दर्ज दिनांक:—20.06.2017

1. हेतराम पता—

.....प्रार्थी

2. गंगाराम पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:



प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

दिनांक:—16.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट बिलौठी पर पेश।
पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण की पालना हो चुकी है। कोई पालना अपेक्षित
न होने से पत्रावली इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प/17/2017

दर्ज दिनांक:-17.03.2017

1. अमरपाल पता—प्रार्थी
बनाम
2. जीवनलाल पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्रसिंह सोना

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट बिलौठी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथन पृथक दृष्ट्या प्रमाणित नहीं है। वादी/प्रार्थी सं. 1,2,3 अपने प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते। इस प्रकार सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प/56/2015

दर्ज दिनांक:-13.07.2015

1. पुष्पादेवी पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. रामरती पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह डागुर

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट बिलौठी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 13.07.2015 को एक पक्षीय T.I. जारी कर प्रार्थी को निर्देशित किया गया था कि वह अप्रार्थीगण की तलवी जरिये RegAd से करावें। परन्तु आज दिनांक तक प्रार्थी द्वारा इस आदेश की पालना नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र T.I. आदेश 09 नियम ओ.5 जा.दी. के प्रावधान के तहत खारिज किया जाता है। जारी शुद एक पक्षीय T.I. दिनांक 13.07.2015 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प/139/2016

दर्ज दिनांक:-29.11.2016

1. मेवा पता-प्रार्थी
बनाम
2. विनय पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

पतराम शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट बिलौठी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा वादी पर विनाय राजीनामा स्वीकृत निर्णित हो चुका है। तदानुसार अब इस एक पक्षीय T.I. दिनांक 29.11.2016 का कोई औचित्य नहीं है। एक पक्षीय T.I. दिनांक 29.11.2016 खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 170 / 2016

दर्ज दिनांक:—29.11.2016

1. मेवा पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. विनय पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

पतराम शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—16.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट बिलौठी पर पेश। प्रकरण धारा 188 RegAd का है पक्षकारों के मध्य पूर्व में राजीनामा होकर दिनांक 03.02.2017 को तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। अतः दावा वादी वर विनाय राजीनामा दिनांक 03.02.2017 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादी वर नाय राजीनामा दिनांक 03.02.2017 स्वीकार किया जाता है। राजीनामा निर्णय के जुडा रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प/51/2017

दर्ज दिनांक:-2017

1. प्रभा पता-प्रार्थी
बनाम
2. सम्मलिया पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रतापसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट बिलौठी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण दिनांक 13.07.2017 से तलवी अप्रार्थीगण में नियत है। प्रार्थी द्वारा तलवी अप्रार्थीगण की नहीं कराई जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA अपालना में ओ. 9 नियम 5 CPC के तहत खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प/85/2013

दर्ज दिनांक:-20.09.2013

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. हुब्बलाल | पता- |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. सुभाष | पता- |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:

उदयवीरसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट बिलौठी पर पेश। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। उसके द्वारा आदेशिका दिनांक 20.09.2013 की पालना आज 5 वर्ष उपरान्त भी नहीं की है। तलवी अप्रार्थीगण हेतु RegAd लिफाफे पेश नहीं किये गए हैं। अतः प्रार्थना पत्र T.I. आदेश 09 नियम 05 जा.दी. के तहत खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 20.09.2013 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प/47/2011

दर्ज दिनांक:-03.08.2011

1. चन्द्रवती पता-प्रार्थी
बनाम
2. शिशपालसिंह पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

उदयवीरसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-08.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट जाटोली रथभान पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थिया सायलान के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अप्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया T.I. खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 03.08.2011 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प/81/2017

दर्ज दिनांक:-22.09.2017

1. प्रेमचन्द पता-प्रार्थी
बनाम
2. बलवीरसिंह पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

भूपत कुमार जैन

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-08.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट जाटोली रथभान पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा में वाद ग्रस्त आराजी हाल ख.नं. 895/0.11 है। बाबत राजीनामा हो चुका है। एक पक्षीय T.I. दिनांक 22.09.2017 भी हाल ख. नं. 895/0.11 बाबत है। अतः T.I. प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर विनाय राजीनामा खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 22.09.2017 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 130 / 2014

दर्ज दिनांक:—21.10.2014

1. रमेशचन्द्र पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. यादवसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—08.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट जाटोली रथभान पर पेश। पटवारी /तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2018 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 यादवसिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्राथमिक डिक्री तथा हाल राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों में भिन्नता है।

वादी अथवा प्रतिवादी सं.1 के वारिसान द्वारा आदेश 0-22 R4.CPC की प्रार्थना पत्र पत्रावली पर पेश नहीं है। साथ ही हाल जमाबंदी में अंकित खातेदारों को पक्षकार मुकदमा बनाने की प्रार्थना पत्र भी पत्रावली पर पेश नहीं किया है।

अतः दावा वादी इसी स्टेज पर आदेश 09 नियम R5.CPC के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.है।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 56 / 2014

दर्ज दिनांक:—04.06.2014

1. यादवसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. परमिन्दर पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—08.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट जाटोली स्थान पर पेश। पटवारी /तहसीलदार भरतपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार वादी यादवसिंह की मृत्यु से पूर्व आराजी को दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर दिया है। इस कारण प्राथमिक डिक्री व राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों में अन्तर है।

वादी की तरफ से उसके जीवित विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा स्वयं को पक्षकार मुकदमा बनाने का प्रार्थना पत्र 0.22. R3.CPC एवं क्रेताओं द्वारा भी पक्षकार मुकदमा बनने का प्रार्थना पत्र 0-1-R10.CPC पत्रावली पर पेश नहीं है।

अतः दावा वादी इसी स्टेज पर आदेश 09 नियम R5.CPC के तहत इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.है।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/20/2012

दर्ज दिनांक:-19.07.2012

1. झुनिया पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. परमाल पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-12.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट तुहिया पर पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन है। ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती अतः प्रकरण में कार्यवाही स्थगित करते हुए पत्रावली ड्रॉप की जाती है।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प/61/2016

दर्ज दिनांक:-03.06.2016

1. नाहरसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. रामभरोसी पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-12.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट तुहिया पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमावंदी संवत् 2071-2074 के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी उभयपक्षकरान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। आराजी के प्रार्थी के अलावा अन्य पक्षकार भी रिकार्डेड खातेदार है। अगर अभिलिखित खातेदारों को T.I. से पावंद किया जाता है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीयक्षति प्रार्थी के वनस्पत अप्रार्थीगण को अधिक होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2016 निरस्त किया जाता है। की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प/73/2010

दर्ज दिनांक:-08.07.2010

1. लक्ष्मणसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. काशीराम पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-12.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट तुहिया पर पेश। मूल दावा निर्णित हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र भी निर्णित किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 105 / 2010

दर्ज दिनांक:—08.07.2010

1. लक्ष्मणसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. काशीराम पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार

प्राथी अभिभाषक

सोनीराम शर्मा

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—12.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट तुहिया पर पेश पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण दिनांक 05.05.2014 को अन्तिम डिक्री किया गया जिसकी अपील प्रार्थी छीतरिया ने न्यायालय आर.ए.ए भरतपुर में की गई। आर.ए.ए. साहब द्वारा प्रार्थी छीतरिया का अपील स्वीकार कर अ.ख.नं. 693 की पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा 0-1-R.10 CPC पेश कर पक्षकार बनने का निवेदन किया। जिसे प्रार्थी छीतरिया द्वारा दिनांक 23.04.2018 को नोट प्रेस में खारिज करा लिया। प्रार्थी ने प्रा. पत्र 0-1-R.10 CPC खारिज करा दावा के निर्णय दिनांक 05.05.2014 का बहाल करने का निवेदन किया है। जिसमें दोनो पक्षों में से किसी को अपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थी प्रा.पत्र नोट प्रेस में खारिज किये जाने पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। न्यायालय का आदेश दिनांक 05.05.2014 प्रभावी रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय / 19 / 2014

दर्ज दिनांक:—05.08.2014

1. रामा पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. भूदेई पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—12.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट बिलौठी पर पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मा. राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखते हुए पत्रावली ड्रॉप की जाती है।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय / 14 / 2017

दर्ज दिनांक:-2017

1. हरिसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. रामदेई पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सोनीराम शर्मा

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-12.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट तुहिया पर पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण की पालना की जा चुकी है। अतः कोई कार्यावाही अपेक्षित न होने से पत्रावली ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/48/2017

दर्ज दिनांक:-07.06.2017

1. लालसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. सामलिया पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-12.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट तुहिया पर पेश। पत्रावली का अवलोकर किया। वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आरजी ख.नं. 2163/0.30 है0 वाके ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर में स्थित है। जिसके वादी व प्रतिवादी वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित आराजी के अलावा ग्राम जधीना, लुधवाडा (कुम्हेर) में भी आराजी है। वादी व प्रतिवादी अपने पिता के जीवनकाल से मनवट से हिस्सा कर काश्त कर रहे है। वाद ग्रस्त आराजी पर वादी बीसियों साल से काबिज होकर न्यारानूर काश्त कर रहा है। निस्फ हिस्सा की खातेदारी विरासतन प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन खिलाफ मौका व कब्जे काश्त में हो गई है, जो काबिल कलमजन के है।

अतः वाके ग्राम तुहिया स्थित ख. नं. 2163/0.30 है के सम्पूर्ण रकवा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबंदी संवत 2071-2074 ग्राम तुहिया जमाबंदी संवत 2069-2072 वाके ग्राम उवार जमाबंदी संवत 2068-2071 ग्राम जधीना पेश की है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। तत्पश्चात दिनांक 21.06.2017 को उभयपक्षकारान के द्वारा राजीनामा पेश किया है, जो बाद तस्दीक संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी समालिया ने राजीनामा में यह तथ्य तस्दीक कराया है कि वादी व प्रतिवादी पर ग्राम तुहिया, जधीना व उबार में भी जमीन है। सभी का मनवट कर रखा है। उनके पिता स्वर्गीय बीरबल 20 वर्ष पूर्व बंटवारा कर गए थे। ख. नं 2163/0.30 है0 पर वादी ही स्वामित्व व अधिपत्यधारी ताहाल तक है और इस पर काबिज रह कर काश्त कर रहा है। सम्पूर्ण रकवा का वाद खातेदार काश्तकार है। दावा वादी डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत दावा के समर्थन में समस्त दस्तावेजात एवं प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादी सगे भाई है जो स्व0 बीरबल के

पुत्र है। इनकी उपरोक्त वर्णित अन्य ग्रामों भी जमीन है। जिनका वैधानिक रूप से बटवारा न होकर आपसी मनवट से काश्त कर रहे हैं। वाद ग्रस्त सम्पूर्ण आराजी को वादी के नाम हस्तान्तरण करने में प्रतिवादी द्वारा राजीनामा में अपनी सहमति दी है तथा इस बाबत अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में कोई वाद विवाद भी लम्बित नहीं है। वाद ग्रस्त आराजी पैतृक है। अतः वर विनाय राजीनामा दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:—

वर विनाय राजीनामा दावा वादी स्वीकार किया जात है। वाके ग्राम तुहिया तहसील भतरपुर स्थित आ0 ख0नं0 2163/0.30 है सम्पूर्ण रकवा पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा डिक्री के जुड रहेगा। चूंकि प्रकरण मुद्राक करायवंचन से सम्बन्धित है। अतः तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह पालना से पूर्व निस्फ हिस्से की खातेदारी रकवा की स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार जमा करावें।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय/6/2015

दर्ज दिनांक:-04.06.2015

1. शिबो उर्फ शिवराम पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. अशोक पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

जितेन्द्र कुमार कर्दम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-19.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट पीपला पर पेश।
मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी डिक्री की पालना की जा चुकी है। अतः प्रकरण में कोई
पालना अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 78 / 2014

दर्ज दिनांक:-24.05.2014

1. मानसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. निरोत्तम पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-19.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट पीपला पर पेश। पटवारी हल्का पीपला की रिपोर्ट के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी के अलावा उभयपक्षकारान का ख.नं. 1984/0.32 भी है जो वादी अपने दावा में लेकर नहीं आए है। वादी ने इस आराजी की बाबत वाद पत्र में न तो कोई प्रार्थना की है और न राजस्व रिकार्ड संलग्न किया है। अर्थात वादी ने इस खसरा नम्बर को छिपाया गया है। सम्पूर्ण आराजी के उभयपक्ष खातेदर कृषक हैं। वादीगण अपने दावा को क्लीन हैण्ड से लेकर अदालत में नहीं आए है। सभी पक्षकारों के सह कृषक होने के कारण ख.नं. 1984/0.32 को दावा में लाये बिना अन्तिम डिक्री किया जाना सम्भव नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। नवीन दावा समस्त आराजी के विभाजन हेतु प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 122 / 2016

दर्ज दिनांक:—10.08.2016

1. अनिल कुमार पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. नैमी चन्द पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुगड सिंह देशवार

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—19.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट पीपला पर पेश। तहसीलदार भरतपुर से कुरा रिपोर्ट प्राप्त। कुरा रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। मुताबिक कुरा रिपोर्ट निम्नानुसार कुरे वाइज दावा वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है।

कुरा न0 1:— वाके ग्राम पीपला I स्थित आ.ख.नं. 21711/0.03, 1410/0.10, 1411/0.15 एवं वाके ग्राम पीपला II स्थित आ.ख.नं. 279912/0.05, 2818/0.05, 2819/0.25, किता-6 रकवा 0-63 है0 के गंगादेई पत्नि धर्मवीर, बबलू उर्फ सत्यवीर, जयदेव, विजयकुमार, पवन पि0 धर्मवीर, सुधा, सुमन, कुसुम पुत्रीयान धर्मवीर जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार रहेगें।

कुरा न0 2:— ख.नं.61/0.18, 217/0.02, 1410/1/0.07 ग्राम पीपला I व ख.नं. 2799/0.07, 2820/0.29 ग्राम पीपला II किता 5 रकवा 0.63 है0 अनिल कुमार पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार रहेगा।

कुरा न0 3:— ख.नं. 60/0.26, 217/2/0.02, ग्राम पीपला I व ख.नं. 2799/1/0.08, 2821/0.27 ग्राम पीपला II व ख.नं. 4 रकवा 0.63 है0 के नैमीचन्द पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार रहेगें।

कुरा न0 4:— ख.नं. 59/0.27, 215/0.36, 1353/0.24 ग्राम पीपला I व ख.नं. 2822/0.32, 2823/0.14, 2824/0.20, 2825/0.13 किता 07 रकवा 1.66 है0 भोजराज,

वेद प्रकाश पि० बृजलाल जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार। इसी प्रकार प.मं. फुलवारा के ग्राम नं. गुलावी के ख. नं. 105/0.26 भोजराज, वेदप्रकाश पि० बृजलाल के हिस्से में रहेगा।

उपरोक्तानुसार कुरे वाइज दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। कुरा रिपोर्ट निर्णय /डिक्री के जुडा रहेगी। Rs.190/- के नोन ज्यूडिशियल के स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 05 / 2012

दर्ज दिनांक:—24.01.2012

1. मेदी पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. चरणसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—24.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट घुस्यारी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक तामीली रिपोर्ट रजिस्टर ऐडी प्रतिवादी सं. 04 निरंजनसिंह की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण को एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है कि वाह निर्धारित समय सीमा में मृत्यु सं. 04 प्रतिवादी वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही करें। पत्रावली दिनांक 17.07.2018 को पेश हो। इस तिथि पर वांछित कार्यवाही न करने पर दावा अवेटमेंट में खारिज होगा।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./02/2012

दर्ज दिनांक:-24.01.2012

1. मेदी पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. चरणसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-24.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट घुस्यारी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी0 के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण U/S 212 RTA इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./23/2013

दर्ज दिनांक:-05.03.2013

1. तेजसिंह पता—प्रार्थी
बनाम
2. सौमोती पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-24.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट घुस्यारी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के द्वारा तलवी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नहीं की जा रही है। जबकि दिनांक 06.03.2013 को ही प्रार्थीगण को तलवी अप्रार्थीगण जरिये RegAd से कराने को निर्देशित किया गया था। परन्तु आदिनांक तक पालना नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र T.I. आदेश 09 नियम 5 जा.दी. के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली पर पूर्व में जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 06.03.2013 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./53/2016

दर्ज दिनांक:-27.05.2016

1. जगवीरसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. भरतसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

गजेन्द्रसिंह

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-24.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट घुस्यारी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। तलवी अप्रार्थीगण की कराने हेतु दिनांक 27.05.2016 से RegAd अभी तक पेश नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA 0-9.R.5CPC के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। अदालत द्वारा जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 27.05.2016 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय /02 /2012

दर्ज दिनांक:—19.03.2012

1. लज्जाराम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

जितेन्द्र कुमार कर्दम

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चिकसाना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली में कार्यवाही स्थगित रखते हुए इजराय कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./12/2018

दर्ज दिनांक:-06.03.2018

1. हीरा सिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. मानसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सत्येन्द्र

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चिकसाना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./76/2016

दर्ज दिनांक:-29.06.2016

1. विन्देश्वरी पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. संजीव पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

विजयसिंह कुन्तल

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चिकसाना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थीगण के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। वाद ग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है। एक सह खातेदार इस सहखातेदार को T.I. से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत T.I. खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 29.06.2016 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 137 / 2016

दर्ज दिनांक:—06.09.2016

1. श्री निवास पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. मानसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

ओम प्रकाश कर्दम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चिकसाना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी की मौका/जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है। मौके पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ व जन हितार्थ आंगनवाडी केन्द्र, आर.ओ. प्लान्ट व पानी की टंकी बनी हुई है। उक्त निर्माण काफी पुराना है। धारा 188 आर.टी.ए. के दावा लाते समय खातेदार का कब्जा काश्त वाद ग्रस्त आराजी पर होना आवश्यकशर्त है। जैसी कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो में प्रतिपादित किया है।

उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./64/2016

दर्ज दिनांक:-29.08.2017

1. रामकिशन पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. भगवानदेई पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुगडसिंह देशवार

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट चिकसाना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी U/S 212 RTA इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./127/2014

दर्ज दिनांक:—08.11.2014

1. लक्ष्मीनारायण पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. लक्ष्मनसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

जितेन्द्र कुमार कर्दम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट चिकसाना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः मूल दावा के अन्तिम डिक्री होने तक उभयपक्षकारान को जरिये T.I. इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली वाद तकमील फैसल शुमार होकर बाद दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 25 / 2009

दर्ज दिनांक:—04.03.2009

1. महावीरसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. ओमप्रकाश पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्र सिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—24.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट घुस्यारी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार भरतपुर द्वारा कुरा रिपोर्ट पेश। शामिल रहे। कुरा रिपोर्ट का अवलोकन किया। कुरा रिपोर्ट पर संबंधित पक्षकार। खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित है। दावा वादी अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य है:—

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। ग्राम घुस्यारी तह0 भरतपुर स्थित हाल आ.ख.नं. 470/0.55, 492/0.27, 682/029, 685/0.15, 688/0.45, 732/0.01, 737/0.02, 736/0.23, 742/0.15, 781/0.07, वतरफ उत्तर 973/0.21, 984/0.17, 733/0.22, 684/0.14, 850//0.25, किता 15 कुल रकवा 3.15 है0 पर ओमप्रकाश , पूरनसिंह, उत्तमसिंह, रनवीरसिंह, महावीरसिंह, पुत्रगण बुजेन्द्रेसिंह जाति जाट सा. देह खातेदार रहेगे। राहिन हिस्सा पूरनसिंह पी.एन.बी. चिकसाना मूर्तहन उत्तमसिंह का हिस्सा कारपोरेशन बैंक शाखा नौगाया में रहन मूर्तहन रहेगें।

इसी प्रकार हाल आ.ख.नं. 67/0.14, 68/0.13 किता 2 रकवा 0.27 है0 पर ओमप्रकाश , पूरनसिंह, उत्तमसिंह, रनवीरसिंह, महावीरसिंह, पुत्रगण बुजेन्द्रेसिंह व0 हिस्सा बराबर हि0 1/2 करनसिंह पुत्र निनुआ हि0 1/4, राजवाला पत्नि रामेश्वर, मोहकम सिंह, सतवीर सिंह, आदित्य पुत्रगण रामेश्वर सुमन उर्फ गुडिया पुत्री रामेश्वर हि0 ब0 1/4 जाति जारे खातेदार दर्ज रहेगे।

इसी प्रकार हाल ख.नं. 471/0.18, 727/0.15, 728/1/0.08, वतरफ दक्षिण 730/0.15, 738/0.01, 739/0.35, 472/1/1.19 वतरफ पूर्व, 735/1/0.11 वतरफ दक्षिण किता 8 कुल रकवा 1.22 है0 पर करनसिंह पुत्र निनुआ जाति जाट सा. घुस्यारी खातेदार राहिन कारपोरेशन बैंक शाखा नौगाया दर्ज राजस्व अभिलेख रहेगें।

इसी प्रकार हाल आ.ख.नं. 472/0.11 वतरफ पश्चिम पर मुकेश पुत्र करनसिंह जाति जाट सा. घुस्यारी रहेगे।

इसी प्रकार हाल आ.ख.नं. 735/0.11 वतरफ उत्तर पर उत्तम पुत्र प्रभु जाति जाट सा० घुस्यारी खातेदार रहेगे।

इसी प्रकार ख.नं. 491/0.17, 728/0.11 वतरफ उत्तर 729/0.43, 731/0.29, 781/1/0.07 वतरफ दक्षिण 857/0.05 वतरफ उत्तर, 850/1/0.08, वतरफ पूर्व 986/0.36 किता 8 कुल रकवा 1.56 है० पर राजवाला पत्नि रामेश्वर मौहरसिंह, सत्यवीर, आदित्य पुत्रगण रामेश्वर, गुडिया उर्फ सुमन पुत्री रामेश्वर जाति जाट खातेदार रहेगे।

इसी प्रकार खसरा नम्बर 851/0.20, 857/1/0.42 वतरफ दक्षिण किता 2 रकवा 0.62 है० पर जुगनेश पुत्र चरनसिंह हि० 19/45, मुन्डा पुत्र चरनसिंह हि० 1/45, पूरनदेई पत्नि चरनसिंह हि० 1/45, रज्जो, सोना, महादेई, रन्तो पुत्रियान महाराजसिंह हि० 4/15, रामदुलारी पत्नि महाराज हि० 1/15, अमर पुत्र जुगनेश हि० 1/5 सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 2/5 जुगनेश पी.एन.बी. चिकसाना मुर्तरहन दर्ज रहेगें।

इसी प्रकार हाल ख. नं. 66/0.25 पर पवन स्वरूप पुत्र महताव जाति जाट सा. घुस्यारी खातेदार रहेगे।

इसी प्रकार ख.नं. 78/0.19, 69/1/0.07 वतरफ दक्षिण किता 2 रकवा 0.26 है० पर बनैसिंह, अर्जुन पुत्रगण पीतम हि० बरावर 1/3, नेमवती, लालवती, चन्द्रवती पुत्रियान पीतम हि० 1/2 राशि पत्नि जगदीश, जातिन नाबालिग पुत्र जगदीश, रचना नाबालिग पुत्री जगदीश जरिये समस्त माता शाशी हि० व० 1/6 जाति जाट सा० घुस्यारी रहेगें।

इसी प्रकार ख.नं. 77/0.26 है० पर शेरसिंह, सोहनसिंह, बीघाराम, मोहनसिंह, प्रकाशसिंह पुत्रगण रतना हि० व० 5/9, वीरोदेवी, मीरा, प्रयागदेवी पुत्रिया रतना हि० व० 3/9, कम्पूरी पत्नि रतना हि० 1/9 जाति जाट सा० घुस्यारी खातेदार रहेगें।

इसी प्रकार ख. नं. 69/0.26 है० पर महेन्द्र हरीसिंह पुत्रगण लौहरे हि० व० 2/3, रामा पत्नि श्यामसिंह, विष्णु हरीओम, पुत्रगण श्यामसिंह हि० व० 1/3 जाति जाट सा० देह खातेदार रहेगे।

इसी प्रकार ख. नं. 70/0.29 है० पर गोपाल, दलवीर, हरवीर, रामवीर पुत्रगण रामहेत हि० व० 4/7, कैला, प्रवेश पुत्रियान रामहेत हि० व० 2/7, राधा पत्नि श्यामवीर गोविन्दसिंह नाबालिक पुत्र श्यामवीर पत्नि सरमस्त माता राधा हि० व० 1/7 जाति जाट खातेदार राहिन पी०एन०बी० बछामदी दर्ज रिकार्ड रहेगी।

कुर्रा रिपोर्ट निर्णय/डिक्री के जुड रहेगी। रूपये 650/- के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/92/2012

दर्ज दिनांक:—08.06.2012

1. पतराम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. महेन्द्रसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

हरभानसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी पतराम की मृत्यु हो चुकी है व मृतक पतराम की वारिस उसकी एक पुत्री मानो पत्नि दुर्गसिंह की भी मृत्यु हो चुकी है मृतक वादी के वारिसान की तरफ वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दावा में एक मात्र वादी है अन्य वादीगण नहीं है। अतः मृतक की तरफ से दावा पोषनीय नहीं रह जाता है। अतः दावा मेन्टेनेबिल नहीं होने खारिज योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादी पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हाकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय / 19 / 2013

दर्ज दिनांक:—06.06.2013

1. जलसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. घन्टौली पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। प्रकरण में माननीय आर.ए.ए. कोर्ट भरतपुर का स्थगन आदेश होने से वर्तमान में पालना नहीं की जा सकती अतः पत्रावली में कार्यवाही स्थगित की जाती है। दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 153 / 2012

दर्ज दिनांक:—26.06.2012

1. बनवारी पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. महन्त पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

महाराजसिंह

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किया है। इसलिए उन्हें साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु कई अवसर देने हेतु अन्तिम अवसर भी दिया गया है। परन्तु इसके बाबजूद साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा दावा के कथनों के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है वह लोक दस्तावेजी की अप्रमाणित फोटो प्रतियां हैं जो साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। वादी द्वारा अपने दावे में यह स्वीकार किया है कि उनकी खातेदारी की आराजी से सरा हुआ हाल आ.ख.नं. 222/0.36 सिवायचक मकबूजा राज गै.मु. मन्दिर है। यदि आराजी सिवायचक मकबूजा राज है तो भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार मुकदमा बनाना आवश्यक है। हाल ख. नं. 222 पर बने मन्दिर में कौन सी मूर्ति स्थपित है न तो उसका उल्लेख किया गया है और नही मूर्ति के वाद मित्र को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है। वादी अपने इस दावा की आड़ में मन्दिर की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से दावा वादी प्रमाणित नहीं है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादी पोषनीय खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हाकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./111/2012

दर्ज दिनांक:—26.06.2012

1. बनवारी पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. महन्त पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्रसिंह

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। मूलदावा खारिज किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र भी सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 23.06.2010 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./99/2012

दर्ज दिनांक:-22.06.2012

1. रतनलाल पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. नानिगाराम पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्रसिंह

दुलीचंद

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नहीं है। उभयपक्षकारान वाद ग्रस्त आराजी के सह खातेदार है। बिना विधिक विभाजन के एक सह खातेदार है। बिना विधिक विभाजन के एक सह खातेदार दूसरे सहखातेदार को T.I. से पावंद नही करा सकता। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एव अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी0 के पक्ष में प्रमाणित नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी T.I. खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 14.06.2011 निरस्त की जाती है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./60/2012

दर्ज दिनांक:—08.06.2012

1. जगदीश पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. अधिशाषी अभियंता पी.डब्लू.डी.
पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

रूपेन्द्रसिंह

विजयसिंह फौजदार

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। प्रार्थी का मूल दावा खारिज हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 04.02.2014 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 92 / 2012

दर्ज दिनांक:—08.06.2012

1. जगदीश पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. अधिशाषी अभियंता पी.डब्लू.डी.

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

रूपेन्द्रसिंह

विजयसिंह फौजदार

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपनी खातेदारी के ख.नं. 1268/0.07 है0 स्थित ग्राम महंगाया के सम्बन्ध में धारा 188 आर.टी.ए. का दावा पी.डब्लू.डी. विभाग को पक्षकार प्रतिवादी बनाकर किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि सड़क ग्राम अवार की तरफ से बन रही है। जबकि पी.डब्लू.डी. के जवाब दावा के अनुसार सड़क बन चुकी है तथा राज. ए.डी.एम. भरतपुर के पत्रांक 257 दिनांक 01.02.2006 है। आज दिनांक में महंगाया से अबार सड़क पर कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है। सड़क के मध्य से 30 फीट दोनों तरफ राज्य सरकार के अधीनस्थ रोड़ निर्माण एवं मेन्टीनेन्स के समय मिट्टी उठाई जाती है। वादी इस दावे की आड़ में गै. मु. सड़क सिवायचक मकबूजा राज की आराजी पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। दावा वादी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 57 / 2014

दर्ज दिनांक:—04.06.2014

1. विन्दावनसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. रोहनसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

भोलासिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी/तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरा रिपोर्ट पर उभयपक्षों के हस्ताक्षर है तथा वाद ग्रस्त आराजी पर उभयपक्षकारान सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं जिनके मध्य आराजी का विधिवत विभाजन किया जा सकता है। मुताबिक कुरा रिपोर्ट दावा अन्तिम डिक्री किये जो योग्य है—

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम नगला हरचंद तहसील भरतपुर स्थित हाल ख.नं. 129/0.11, 225/0.11, 228/0.10, 229/0.06, 244/0.03, 137/0.17, 143/0.13, 209/0.15, 210/0.13, 362/0.40, कित्ता 10 रकवा 1.39 है0 पर रोहनसिंह पुत्र दरवा जाति जाट सा. देह खातेदार रहेगा।

इसी प्रकार हाल ख.नं. 129/1/0.11, 146/0.19, 209/1/0.04, 228/1/0.09, 229/1/0.07, 244/1/0.03, 238/0.19, 353/0.29, 354/0.37 कित्ता 9 रकवा 1.38 है0 पर बृजदेई पुत्री दरवा जाति जाट सा. देह खातेदार रहेगी।

इसी प्रकार हाल ख.नं. 129/2/0.11, 137/1/0.17, 146/1/0.31, 147/0.01, 288/2/0.10, 229/2/0.06, 224/2/0.03, 389/0.59 कित्ता 8 रकवा 1.38 है0 पर विन्दावन पुत्र दरवा जाति जाट सा. देह खातेदार रहेगा।

कुरा रिपोर्ट निर्णय का जुडा रहेगा। रू 250/— के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश हाने पर अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 132 / 2013

दर्ज दिनांक:—11.10.2013

1. राजेन्द्रसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. मनोज कुमार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

कृष्ण कुमार सिंघल

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल वयनामा संख्या 1214 दिनांक 23.05.1997 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 331/0.18, 332/0.26, 33/0.26 किता 3 रकवा कुल रकवा 0.70 है0 स्थित ग्राम महंगाया के 2/3 के 1/2 अर्थात 1/3 हिस्सा को तत्कालीन खातेदार बोदन द्वारा केता प्रताप को विक्रय किया। दा0 ख0 संख्या 161/02.01.98 द्वारा विक्रित 1/3 हि0 के स्थान पर सहवन से 2/3 हिस्सा का दा.खा. केता प्रताप के नाम खुलकर जमाबंदी में अमल हो गया। केता के पुत्रगण असल प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा दावे में वादीगण के पक्ष में इकबाल दिनांक 14.09.2016 पेश किया है जो रिकार्ड से प्रमाणित है। प्रतिवादी सं. 4 पैरोकार सरकार ने भी अपने जबाव दावा में दावा वादीगण को रिकार्ड व इकवाल दावा के आधार पर स्वीकार करने की अनुशंषा की है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है—

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। हाल ख. नं. 331/0.18, 332/0.26, 333/0.26 किता 3 कुल रकवा 0.70 है0 स्थित ग्राम महंगाया तह0 भरतपुर के 1/3 हिस्से पर केता प्रताप के वारिसान प्रतिवादी सं. 1,2 तथा वाद ग्रस्त आराजी के 1/3 पर प्रतिवादी सं. 3 नेकराम एवं शेष 1/3 हिस्सा पर वादीगण हि0 ब0 के खातेदार रहेगे। रहन अंकन यथावत रहेगे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./229/2012

दर्ज दिनांक:-20.07.2012

1. चिम्मन पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. चेताराम

पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

रूपेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 25.11.2011 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./116/2013

दर्ज दिनांक:—08.10.2013

1. भगवानसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. भोजराजसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

घनश्यामसिंह सिंघल

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। प्रार्थी का मूल दावा प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। अतः अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./106/2014

दर्ज दिनांक:-26.09.2014

1. प्रेमवती पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. नथिया पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपमन

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। प्रार्थी का मूल दावा प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। अतः मूल दावा में अन्तिम डिक्री होने तक उभयपक्ष को जरिये जरिये T.I. इस कदर पावंद किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/06/2015

दर्ज दिनांक:-11.02.2015

1. ईश्वरसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दुलीचंद शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण वाद ग्रस्त हाल आ.ख.नं. 2228/0.83 सिवायक गै. मु. पोखर मकबूजा राज बिना लगानी पानी के नीचे डूबे हुए क्षेत्र स्थित ग्राम नगला माना तह0 भरतपुर खातेदारी चाही गई है। यह ख.नं. गत ख.नं. 2168/5.14 विस्वा गै. मु. रास्ता से बना है। जो संवत 2016 की जमाबंदी में रास्ता दर्ज है। नाम कृषक के कॉलम में श्याम सुन्दर नम्बरदार की नाम की प्रविष्टि नहीं है। वादी द्वारा अपने दावा के कथनों के समर्थन में आर.टी.एक्ट.1955 के प्रभाव शील होने के संवत 2012 की जमाबंदी भी पेश नहीं की है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के अनुसार पानी के नीचे डूबे हुए क्षेत्रों परम्परागत रास्तों पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। दावा वादी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:-

दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 224 / 2012

दर्ज दिनांक:—04.07.2012

1. रोहन पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. वृन्दावन

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

भोलासिंह

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी/तहसीलदार प्रस्तुत कुरा रिपोर्ट पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर है तथा वाद ग्रस्त आराजी पर उभयपक्षकारान सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हे। जिनके मध्य आराजी का विधिवत विभाजन किया जा सकता है। मुताविक कुरा रिपोर्ट दावा अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है। ग्राम नगला हरचंद तहसील भरतपुर के हाल खसरा नम्बर 128/0.04, 223/1/0.04, 227/1/0.04, 241/1/0.02, किता 4 कुल रकवा 4.10 है0 व ख.नं. 129/0.11, 225/0.11, 228/0.10, 229/0.06, 244/0.03, 137/0.07, 143/0.13, 209/0.15, 210/0.13, 362/0.40 किता 10 रकवा 1.39 है0 पर रोहनसिंह पुत्र दरवा जाति जाट सा. देह खातेदार रहेंगे।

इसी प्रकार हाल ख.नं. 128/1/0.04, 227/2/0.03, 240/1/0.03, 241/2/0.04, किता 4 रकवा 0.14 है0 एवं ख. नं. 129/1/0.11, 146/0.19, 209/1/0.04, 228/1/0.09, 229/1/0.07, 244/1/0.03, 238/0.19, 353//0.29, 354/0.37 किता 9 रकवा 1.38 है0 पर बृजदेई पुत्री दरवा जाति जाट सा. देह खातेदार रहेगी।

इसी प्रकार हाल ख.नं. 128/2/0.04, 224/1/0.03, 241/3/0.03, 227/3/0.04 किता 4 रकवा 0.14 है0 एवं ख. नं. 129/2/0.11, 137/1/0.17, 146/0.13, 147/0.01, 228/2/0.10, 229/2/0.06, 244/2/0.03, 389/0.59 किता 8 रकवा 1.38 है0 पर वृन्दावन पुत्र दरवा जाति जाट सा. देह खातेदार रहेगा।

इसी प्रकार हाल ख. नं. 127/0.11, 233/0.04, 224/0.05, 227/0.11, 240/0.04, 241/0.08 किता 6 रकवा 0.43 है0 पर मनीराम पुत्र खुशीराम हिस्सा 1/3 , जगदीश पुत्र खुशीराम हि0 1/3, लक्ष्मण पुत्र खुशीराम हि0 1/3, जाति जाट सा. देह खातेदार रहेगे। कुरा रिपोर्ट निर्णय का जुज रहेगा। रूपये 250/- के नोनज्यूडिशियल के स्टाम्प पेश होने पर अन्तिम डिक्री पर्चा जारी है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.पत्र / 155 / 2012

दर्ज दिनांक:—04.07.2012

1. रोहन पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. वृन्दावन

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

भोलासिंह

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत /कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। दावा वादी अन्तिम डिक्री निर्णित हो चुकी है। अब इस प्रार्थना पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.पत्र / 80 / 2006

दर्ज दिनांक:—06.06.2006

1. चरनसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. गंगाधर

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सोनीराम शर्मा

प्रतापसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। दावा वादी अन्तिम डिक्री निर्णित हो चुकी है। दावा वादी खारिज निर्णित हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी T.I.खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 01.06.2006 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 70 / 2006

दर्ज दिनांक:—06.06.2006

1. चरनसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. गंगाधर

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्रसिंह

प्रतापसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। वादी द्वारा यह दावा दिनांक 01.06.2006 को इस न्यायालय में पेश किया। जबकि इन्ही पक्षकारों के मध्य इसी आराजी का विभाजन आपसी सहमति से तहसीलदार भरतपुर द्वारा वर्ष 2004 में कर दिया गया था जिसका दा.ख. संख्या 882 दिनांक 07.06.2004 स्वीकृत निर्णय होकर जमाबंदी में अमल आ गया। इस दा.ख. की प्रथम अपील ए.डी.एम. सहाब भरतपुर यहां से दिनांक 30.06.2006 को खारिज निर्णय हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 8 लगायत 13 के पूर्वज झनकसिंह ने आ.ख.नं. 926,927,930 किता 3 कुल रकवा 52 है. का वयनामा वादी को करा दिया है। फिर वादी का कौनसा 0.46 है0 रकवा कम आया है, स्पष्ट नहीं है। दावा वादी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित न होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 213 / 2007

दर्ज दिनांक:—11.10.2007

1. भगवानदेई पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. लक्ष्मन

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सोनीराम शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश।
वादियागण/ उप. उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वे अपना दावा चलाना
नही चाहती। वादियागण की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत इकरन द्वारा की गई।
वादियागण ने पहिचान स्वरूप अपनी आई.डी.भी पेश की है। दावा वादिया विद्दो से खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/92/2016

दर्ज दिनांक:—23.06.2016

1. बाबूलाल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. गोपाल

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दिनेश शर्मा

दीपक शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2069—2072 पर अंकित सहखातेदारों व दावा के पक्षकारों के नामों में मिलता है। चन्द्रभान की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान का नाम इस जमाबंदी में अंकित नहीं है। मृतक चन्द्रभान के वारिसान को अपने नोशनल शेयर पर खातेदारी घोषणा के अधिकारों के लिए धारा 88 आरटीए एक्ट का अनुतोष इस प्रकरण में नहीं लिया गया है। दावा मात्र धारा 53—188 आरटीए एक्ट का है। पक्षकार जब जमाबंदी में अभिलिखित खातेदार नहीं है तो उनके मध्य आराजी का विधिवत विभाजन किस प्रकार सम्भव है। दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.पत्र/75/2016

दर्ज दिनांक:-23.06.2016

1. बाबूलाल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. गोपाल

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दिनेश शर्मा

दीपक शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। वादीगण का मूल वाद खारिज निर्णित हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। अदालत हाजा को पूर्व जारी एक पक्षीय T.I. निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 153 / 2013

दर्ज दिनांक:—26.11.2013

1. गोपाल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. पवन

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपवन

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार हिदायत के बाबजूद भी तलवी प्रतिवादी की नहीं कराई गई है। दावा वर्ष 2013 से लम्बित है। प्रतिवादीगण की तलवी रजिस्टर एडी से कराने हेतु कई अवसर दिये गए हैं। तलवी न कराने पर दिनांक 06.03.2018 को दावा अपालना में खारिज करने की भी चेतावनी की गई। किन्तु अभी तक पालना नहीं की गई है।

अतः दावा वादीगण ओ.9.नि.5.सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./142/2013

दर्ज दिनांक:—26.11.2013

1. गोपाल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. पवन

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपवन

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। दावा वादीगण ओ.9.नि.5.सीपीसी के तहत खारिज हो चुका है। तदानुसार यह प्रार्थना पत्र टी.आई. भी अपालना में खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 26.11.2013 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 07 / 2014

दर्ज दिनांक:—13.01.2014

1. छीत्तरसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. पंचमसिंह

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

चन्द्रमोहन गुप्ता

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार हिदायत के बाबजूद भी तलवी प्रतिवादी की नहीं कराई गई है। दावा वर्ष 2013 से लम्बित है। प्रतिवादीगण की तलवी रजिस्टर एडी से कराने हेतु कई अवसर दिये गए हैं। तलवी न कराने पर दिनांक 06.03.2018 को दावा अपालना में खारिज करने की भी चेतावनी की गई। किन्तु अभी तक पालना नहीं की गई है।

अतः दावा वादीगण ओ.9.नि.5.सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्रा.पत्र/49/2014

दर्ज दिनांक:—13.07.2015

1. ओमप्रकाश पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. ओमवती

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह डागुर

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—09.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट खैमरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय / 10 / 2017

दर्ज दिनांक:—02.08.2017

1. केशव पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपमन

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—09.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट खैमरा पर पेश। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का खैमरा प्रकरण की पालना हो चुकी है। अतः प्रकरण में कोई पालना अपेक्षित न होने से पत्रावली इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्रा.पत्र/95/2017

दर्ज दिनांक:—06.11.2017

1. रूपसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. गम्भीरसिंह

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—09.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट खैमरा पर पेश। मूल दावा प्राथमिक डिक्री हो चुका है। अतः मूल दावा के अन्तिम डिक्री होने तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो। यह आदेश कुरा रिपोर्ट बनाते समय प्रभावी नहीं होगा।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्रा.पत्र/25/2018

दर्ज दिनांक:—08.05.2018

1. गम्भीरसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. रूपसिंह

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दीपक शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—09.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट खैमरा पर पेश। मूल दावा प्राथमिक डिक्री हो चुका है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे मूल दावा के अन्तिम डिक्री होने तक वाद ग्रस्त आराजी का मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो। यह आदेश कुरा रिपोर्ट बनाते समय प्रभावी नहीं होगा।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/49/2011

दर्ज दिनांक:—13.07.2011

1. दुर्गी पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. शिवसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

महेश चन्द

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी/तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 02.03.2018 के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी का पूर्व में ही विभाजन होकर अमल में जमाबंदी में आ चुका है। प्रस्तुत दावा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है। कि:—

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/26/2017

दर्ज दिनांक:—19.04.2017

1. वीरबल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. नारायण पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

पंकजकुमार

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की खातेदारी से लगे हुए गै. मु. रास्ता सिवायचक आराजी है। वादी इस दावे की आड़ में गै. मु. रास्ते पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है। कि:—

दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./23/2017

दर्ज दिनांक:—19.04.2017

1. वीरबल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. नारायण पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

पंकजकुमार

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। मूल दावा खारिज हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./41/2011

दर्ज दिनांक:-28.07.2011

1. अर्जुन पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दुलीचन्द शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। वाद ग्रस्त आराजी सिवायचक मकबूजा राज दर्ज अभिलेख है। अतिक्रमियों को कोई अधिकार कानून प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय/03/2014

दर्ज दिनांक:—20.01.2014

1. गंगाराम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में मा. राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश होने से पालना स्थगित रखी जाती है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./42/2011

दर्ज दिनांक:-28.07.2011

1. डालचन्द पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दुलीचन्द शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। वाद ग्रस्त आराजी सिवायचक मकबूजा राज दर्ज रिकार्ड है। अतिक्रमियों को कोई अधिकार कानून प्राप्त नहीं होते।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./43/2011

दर्ज दिनांक:-28.07.2011

1. सुक्खा पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दुलीचन्द शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। वाद ग्रस्त आराजी सिवायचक मकबूजा राज दर्ज रिकार्ड है। अतिक्रमियों को कोई अधिकार कानून प्राप्त नहीं होते।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 07 / 2014

दर्ज दिनांक:—13.01.2014

1. छीत्तरसिंह पता—

.....प्राथी

बनाम

2. पंचमसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

चन्द्रमोहन

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने जारिये वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा को आगे न चला कर खारिज करने का निवेदन किया है।

चूंकि वादी अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता। दावा वादी विद्रो किये जाने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा. द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/92/2013

दर्ज दिनांक:—09.07.2013

1. अतरा उर्फ अतराम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. रनवीर

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह डागुर
पुष्पेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार मौका देने के उपरान्त भी वादी द्वारा प्रतिवादी सं.5 की तलवी नहीं कराई जा रही है। दावा वादी वर्ष 2013 से लम्बित है। प्रतिवादी सं. 5 की तलवी रजिस्टर एडी से कराने हेतु अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। अतः दावा वादी ओ.9. नियम.5.सी.पी.सी. के तहत वाणिज्य प्रावधानों के अनुसार अपालना में खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./81/2013

दर्ज दिनांक:—09.07.2013

1. अतरा उर्फ अतराम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. रनवीर

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह डागुर
पुष्पेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अदालत के आदेश दिनांक 09.07.2013 की पालना में अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टर एडी से नहीं कराई गई है। प्रार्थना पत्र वर्ष 2013 से लम्बित है। अब तलवी न कराने पर ओ.9.नियम.5.सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपालना में खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 09.07.2013 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 20 / 2013

दर्ज दिनांक:—20.02.2013

1. विमला पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. हरिसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

पंकजकुमार

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। बार-बार मौका देने के उपरान्त भी तलवी नहीं कराई गई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी दिये गए है। इसके बाबजूद तलवी हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः दावा वादीगण ओ.9.नियम.5.सी.पी.सी. के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 16 / 2013

दर्ज दिनांक:—20.02.2013

1. विमला पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. हरिसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

पंकजकुमार

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। दावा वादीगण ओ.9.नियम.5.सी.पी.सी. के तहत अपालना में खारिज किया गया है। तदनुसार ही यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA अपालना में खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय टी. आई. दिनांक 20.02.2013 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 16 / 2013

दर्ज दिनांक:—20.02.2013

1. जगवीरसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. भरतसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

पुरुषोत्तम

मोहनसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। वादी जगवीरसिंह ने जरिये वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा को आगे न चलाकर खारिज करने का निवेदन किया है।

चूंकि वादी अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता। दावा वादी विद्धो किये जाने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/72/2011

दर्ज दिनांक:-16.09.2011

1. विशनलाल पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. बृजपालसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

मुकेश कुमार

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। वादीगण स्वयं उपस्थित वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने दावा को खारिज करने का निवेदन किया है। वादीगण अपने दावा को चलाना नहीं चाहते। अतः दावा वादीगण विद्धो किये जाने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 97 / 2017

दर्ज दिनांक:—05.09.2017

1. शिवसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. डालचन्द पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

जितेन्द्र कुमार कर्दम

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। वादीगण स्वयं उपस्थित वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता और न आराजी का विभाजन कराना चाहता।

चूंकि वादी अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता। अतः दावा वादी विद्वा में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./79/2017

दर्ज दिनांक:—05.09.2017

1. शिवसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. डालचन्द पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

जितेन्द्र कुमार कर्दम

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। दावा वादी विद्गो में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टी.आई. भी विद्गो में खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 19.09.2017 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/09/2018

दर्ज दिनांक:—07.02.2018

1. पोहपसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. निहालसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेश कुमार पोहिया

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। वादीगण स्वयं उपस्थित वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने दावा को खारिज करने का निवेदन किया है। दावा वादी अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता। विद्घो किये जाने पर दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./09/2018

दर्ज दिनांक:—07.02.2018

1. पोहपसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. निहालसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेश कुमार पोहिया

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। मूल दावा विद्रो किये जाने पर खारिज हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./22/2017

दर्ज दिनांक:—19.04.2017

1. वीरवल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. नारायण पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। मूल दावा विद्धो किये जाने पर खारिज हो चुकी है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी u/s 212 RTA भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 25 / 2017

दर्ज दिनांक:—19.04.2017

1. वीरवल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. नारायण पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की खातेदारी से लगे हुए गै.मु. रास्ता सिवायचक आराजी है। वादी इस दावे की आड़ में गै.मु. रास्ते पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बंद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./109/2013

दर्ज दिनांक:-30.09.2013

1. विष्णुचन्द पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. शन्ति प्रसाद पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। दावा वादी खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 30.09.2013 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/42/2017

दर्ज दिनांक:—20.06.2017

1. प्रेमसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. निहालसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपमान

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। मूल दावा स्वीकार निर्णित हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA निर्णित किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 53 / 2017

दर्ज दिनांक:—20.06.2017

1. प्रेमसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. निहालसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपमान

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। उभयपक्षकारान उपस्थित उन्होने राजीनामा प्रपत्र पेश किया। मुताबिक राजीनामा दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 111 / 2012

दर्ज दिनांक:—13.06.2012

1. विजयसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. रमूली पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रतापसिंह

ओमप्रकाश चौधरी

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा वर्ष 2012 से लम्बित है। बार-बार अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादी सं. 1,2 की तलवी रजिस्टर एडी से अभी तक नहीं कराई गई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी

दिये गए हैं। दिनांक 22.06.2016 को तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज किये जाने की भी चेतावनी दी गई है। किन्तु पालना नहीं की गई है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। अतः दावा वादी ओ.9.नियम.5.सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 203 / 2012

दर्ज दिनांक:—02.07.2012

1. मालादेवी पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजू उर्फ राजकुमार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्रसिंह

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिया माला देवी द्वारा वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 829/0.35 है0 स्थित ग्राम पिडियानी के 1/16 का 800/132 अपना समस्त हिस्सा रीना देवी पत्नि देवेन्द्र कुमार को वयनामा सं. 20120085600 दिनांक 26.11.2012 से व रीना देवी द्वारा इस समस्त आराजी को कुसुम शर्मा पत्नि राजकुमार को जरिये वयनामा सं. 201400353 दिनांक 21.11.2014 से विक्रय कर दिया है। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक एलआर/17/1400 दिनांक 20.04.2017 के अनुसार भी वादिया के नाम हाल जमाबंदीमें अंकित नहीं है। जहां वादिया वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार दर्ज अभिलेख नहीं है। वहां वह वाद ग्रस्त आराजी के विभाजन की अधिकारी नहीं है। दावा वादिया स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादिया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/89/2015

दर्ज दिनांक:—07.08.2015

1. बहादुर पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. ओमी पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

नीरपालसिंह कुन्तल

पंकज कुमार

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। उभयपक्ष उप/पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी /तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक/एलआर/17/1402 दिनांक 30.04.2017 का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2067-70 में वादी का नाम बहादुर पुत्र बैनी अंकित है। जबकि दावा बहादुर पुत्र बनैसिंह के नाम से किया है। सर्व प्रथम वादी अपने पिता के नाम की दुरस्ती सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र/दावा पेश करावे। इसके अतिरिक्त विभाजन के खाते में सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होते हैं। परन्तु वादी द्वारा जीतेन्द्र, राजवीर, गजेन्द्रसिंह पुत्रगण हरीशंकर समस्त नाबालिगान वली सरपरस्त माता सीमा को पक्षकर मुकदमा नहीं बनाया है। अतः दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादिया खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./11/2014

दर्ज दिनांक:-22.01.2014

1. नरेन्द्र अरोडा पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. मानबिहारी पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-13.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रुंधइकरण पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण कृषि भूमि के विक्रय इकरारनामा से सम्बन्धित है। इसे निरस्तारण करने को क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 22.01.2014 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./93/2016

दर्ज दिनांक:-01.08.2016

1. गेंदा पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. कमलसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेशचन्द गुप्ता

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-13.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रूंधङ्करन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.08.2016 के अनुसार अप्रार्थी की तलवी रजिस्टर एडी से किये जाने के आदेश है। किन्तु लगभग 23 माह उपरान्त भी तलवी अप्रार्थी की रजिस्टर एडी से न कराये जाने पर न्यायालय के आदेश की अपालना में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 01.08.2016 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा. द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./79/2016

दर्ज दिनांक:—12.07.2016

1. जगदीश पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. गुड्डा पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुगडसिंह देशवार

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—13.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रूंधङ्करन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान अपनी-अपनी अभिलिखित खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है। उभयपक्षों की खातेदारी की आराजी के मध्य में हाल ख.नं. 260/574/0.10 है0 है जो निजी खातेदारारी की आराजी है। वर्तमान में यह नम्बर रास्ते के काम आ रहा है। इस आरजी को हड़पने के लिए दोनों पक्ष लालायित है। अतः उभयपक्षकारान को ताफैसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वद गस्त आराजी पर मौके की यथास्थिति यथावत कायम रख दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./28/2007

दर्ज दिनांक:-08.03.2007

1. कल्याणसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. फूलसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह डागुर

राजेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-13.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रूंधङ्करन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। वाद बहुलता को रोकने के लिए उभयपक्षों को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./82/2016

दर्ज दिनांक:-18.07.2016

1. गिराजसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. कल्यानसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेशचन्द्र गुप्ता

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-13.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रूंधङ्करन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 19.07.2016 को प्राप्त की है। इस आदेशिका में तलवी अप्रार्थीगण जारिये रजिस्टर एडी से कराने के आदेश दिये गए थे परन्तु लगभग 23 माह तक प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना में तलवी अप्रार्थीगण हेतु रजिस्टर एडी पेश नहीं की प्रार्थना पत्र प्राथीगण न्यायालय के आदेश की अपालना के फलस्वरूप खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 18.07.2016 खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 130 / 2017

दर्ज दिनांक:—11.11.2017

1. सुम्मी पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. माया पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेश चंद

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—13.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रूंधङ्करन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिया ख.नं. 651/0.17 है0 स्थित ग्राम बज्जरा की 1/2 हिस्से को अपने नाम तथा शेष 1/2 हिस्से को अप्रार्थियों के नाम चाहती है। हाल ख.नं. 651 पर अप्रार्थिया वर्तमान में अभिलिखित खातेदार है।

इसी प्रकार हाल ख.नं. 652/0.19 है0 जिसकी अभिलिखित खातेदार प्रार्थिया है। इसमें 1/2 हिस्से को अपने पास रखते हुए शेष 1/2 हि0 को अप्रार्थिया के नाम विनियमन चाहती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 एवं राज. काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 में कही थी एक सम्पूर्ण खसरा नम्बर को विखण्डित कर परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण स्पष्टतः मुद्रांक व पंजीयन अपवंचना की है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादिया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./139/2013

दर्ज दिनांक:-20.11.2013

1. परताप पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. नन्दकिशोर पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्रमोद कुमार

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-13.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रूंधइकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय/07/2017

दर्ज दिनांक:-26.09.2017

1. रघुवीरसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. गिर्राजसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सोनीराम शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट पटवीर के मुताबिक पक्षमरान डिक्री निर्णय की पालना नहीं चाहते है। इसलिए प्रार्थना पत्र इजराय इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय/05/2018

दर्ज दिनांक:-08.03.2018

1. रघुनाथसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. गिर्राजसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सोनीराम शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट पटवीर के मुताबिक पक्षमरान डिक्री निर्णय की पालना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र इजराय इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय/05/2017

दर्ज दिनांक:-20.06.2017

1. हरिओम पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. रामदेई पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-19.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट गांवडी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट पटवीर के मुताबिक हल्का प्रकरण की पालना की जा चुकी है। अतः पालना अपेक्षित न होने से पत्रावली ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./85/2017

दर्ज दिनांक:-16.10.2017

1. सुरेन्द्र कुमार पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. हरीसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-19.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट गांवडी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय/05/2018

दर्ज दिनांक:-08.03.2018

1. रघुनाथसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. औकारसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

बनयसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट पटवीर के मुताबिक पक्षमरान डिक्री निर्णय की पालना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र इजराय इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय/05/2018

दर्ज दिनांक:-08.03.2018

1. रघुनाथसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. औकारसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

बनयसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। डिक्रीदार स्वयं उपस्थित। उसने निर्णय डिक्री आर.ए.ए. भरतपुर की पालना में समस्त स्टाम्प ड्यूटी अदा करने से इन्कार किया। प्रार्थना पत्र इजराय खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय/09/2017

दर्ज दिनांक:-28.07.2017

1. रामगोपाल पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. मिथलेश पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

भरतसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के मुताबिक निर्णय डिक्री की जालना राजस्व अभिलेख में हो चुकी है। पत्रावली में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./84/2017

दर्ज दिनांक:-04.10.2017

1. प्रहलाद पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. जगदीश पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। तलवी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी कराने हेतु निर्देश दिये गये। परन्तु अप्रार्थीगण विष्णु की तलवी हेतु रजिस्टर एडी पेश नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र टी.9. ओ.9.नियम.5.सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./47/2016

दर्ज दिनांक:-24.05.2016

1. जगन्नाथ पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. वंशी पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

अर्जुनसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा वादी प्राथमिक डिक्री निर्णित किया जा चुका है। अतः उभयपक्ष कारान को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे रिकार्ड मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। यह आदेश पटवारी। तहसीलदार पर कुरा रिपोर्ट संधारित करते समय प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./94/2017

दर्ज दिनांक:—06.11.2017

1. कल्पनासिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. मुकेश पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रा.पत्र में दिनांक 6.11.2017 को रजिस्टर एडी से तलवी कराने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन पालना आज दिनांक तक नहीं की गई है। जबकि प्रार्थीगण को कई मौके दिये जा चुके हैं। अतः प्रार्थना पत्र ओ.9.नियम 5.सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./94/2017

दर्ज दिनांक:—06.11.2017

1. कल्पनासिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. मुकेश पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रा.पत्र में दिनांक 6.11.2017 को रजिस्टर एडी से तलवी कराने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन पालना आज दिनांक तक नहीं की गई है। जबकि प्रार्थीगण को कई मौके दिये जा चुके हैं। अतः प्रार्थना पत्र ओ.9.नियम 5.सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./102/2017

दर्ज दिनांक:-20.11.2017

1. प्रहलादसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज.सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा वादीगण खारिज निर्णित किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र टी.9. भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./66/2014

दर्ज दिनांक:-05.08.2014

1. उदयवीरसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. दुलारी पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तलवी अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 05.08.2014 से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दिनांक 18.03.2016 को प्रार्थीगण को तलवी रजिस्टर ए.डी. से कराने हेतु चेतावनी भी दी गई थी, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र टी.9.ओ.9.नियम.5.सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./53/2014

दर्ज दिनांक:—01.08.2014

1. भगवानसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

भूपत कुमार जैन

८ प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा वादी खारिज निर्णित किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र टी.9. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/65/2014

दर्ज दिनांक:-01.08.2014

1. भगवानसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

भूपत कुमार जैन

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अपने पिता की खातेदारी की ख.नं. 4620/0.22 है0 स्थित जघीना सं. 2 पर सरकार में विरुद्ध धारा 188 आर.टी.ए. का अनुतो 1 चाहते है। वाद ग्रस्त आराजी पर वादीगण अपने लिखित खातेदार नही है। अपने लिखित खातेदारो की ही धरा 188 आर.टी.ए. को दावा पेश करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वादीगण के पिता के नाम दर्ज ख.नं. 4620 से लगे हुये हाल ख.नं. 4617/0.02 व 4618/0.03 है0 गैर रास्ता सिवायचक मकबूजा राज. बिना लगानी है। जिन पर नाजायज कब्जा करने के लिए वादीगण ने यह दावा पेश किया है। वादीगण का दावा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नही है जो स्वीकार योग्य नही है।

अतः आज्ञा है कि:-

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द. की जावे।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 447 / 2012

दर्ज दिनांक:-04.12.2012

1. जयपाल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

रमेश सोलकी

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अपने पिता की खातेदारी की ख.नं. 8808/0.29 है0, 8816/0.29 है0, 8817/0.23 है0, 8820/0.38 किता 4 रकवा 1.19 है0 स्थित जघीना सं. 4 पर गैर खातेदारी से खातेदारी का अनुतोष चाहा है। प्रकरण साक्ष्य वादी में प्रचलित है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपनी गैर खातेदारी के स्रोत यथा मौरोसी/गैर मौरोसी/खुद काश्त/आंवटी/ पहेदार को किसी रिकार्ड को पत्रावली पर पेश नहीं किया है। दावा वादीगण साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि:-

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द. की जावे।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./107/2014

दर्ज दिनांक:—01.10.2014

1. हुब्बी पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. जोगेन्द्रसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दिलीपसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण दिनांक 1.10.2014 से तलवी में विचाराधीन है। लेकिन आज दिनांक तक तलवी नी कराई गई है। जबकि दिनांक 05.12.2016 को प्रार्थी हेतु रजिस्टर एडी से तलवी कराने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था। दिनांक 13.12.2017 को तलवी हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था तथा तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आज दिनांक तक तलवी नहीं कराई गई है। अतः प्रार्थना पत्र टी.9.नियम.5.सी.पी.सी. के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./93/2012

दर्ज दिनांक:—20.06.2012

1. हुकमसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. बनैसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रभारानी गुप्ता

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा वादी स्वीकार निर्णित किया जा चुका है। इस लिए प्रार्थना टी.9. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 131 / 2012

दर्ज दिनांक:—20.06.2012

1. हुकमसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. बनैसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रभारानी गुप्ता

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी वाद ग्रस्त आरजी की अपील लिखित खातेदार है। प्रतिवादीगण विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 3 भरतपुर में फौजदारी प्रकरण सं. 13 / 2008 दर्ज हुआ था। जिसमें प्रतिगण बैनसिंह व नथ्रो को दोषी माना गया। इस प्रकार वादी के दावा के कथन पूर्ण रूपेण प्रभावी है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी के रकवा में कब्जे काथत में मदाखलत मजाहमत नही करें। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 358 / 2012

दर्ज दिनांक:—01.08.2012

1. रतनसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. केशवसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक / एल / आर / 17 / 850 दिनांक 15.03. 2017 द्वारा कुरा रिपोर्ट प्राप्त होकर है। कुरा रिपोर्ट पर सह खातेदारों के हस्ताक्षर दावा वादी मुताबिक कुरा रिपोर्ट अन्तिम रूप से डिक्री किये जोक योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादी मुताबिक कुरा रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया जाता है। ग्राम जघीना सं. 2 स्थित हाल आ.ख.न. 4696 / 0.35, 5079 / 0.19, 5080 / 0.17 किता 3 कुल रकवा 0.71 है0 लगान 8.00 रु पर रामवीर, श्यामसिंह, चन्दनसिंह प्रनगन रतनसिंह वाहिस्सा बराबर 3 / 4 है0 अंगूरी पत्नि जलसिंह, गुडडी, लक्ष्मी, रनिया पजीया जलसिंह पुष्पेन्द्र जलसिंह हिस्सा बराबर कुल हिस्सा 1 / 4 जाति फौजदार सा. देह खातेदार रहेगे।

इसी प्रकार हाल आ.ख.न. 4724 / 0.44, 4725 / 0.25 किता 2 कुल रकवा 0.69 है0 पर केशवसिंह बलवीर सिंह प्र0गण राधेश्याम व हिस्सा बारबर जाति जाट सा0 सहारा तह0 किरावली खातेदार रहेगे। लगान 6.21रु रहेगा।

इसी प्रकार जघीना न. 3 स्थित आल आ.ख.नं. 5314 / 0.36, 5315 / 0.22, 5355 / 0.39 किता 3 कुल रकवा 0.97 है0 पर रामवीर श्यामासिंह चन्दनसिंह प्र0गण रतनसिंह हिस्सा बराबर 3 / 4 है। अंगूरी पत्नि जलसिंह, गुडडी लक्ष्मी रनिया प्र0 जलसिंह, पुष्पेन्द्र जलसिंह हिस्सा बराबर 1 / 4 जाति फौजदार सा देह खातेदार रहेगे लगान 8.73 रु रहेगा।

इसी प्रकार हाल ख.नं. 5353 / 0.35, 5373 / 0.17, 5374 / 0.14, 5375 / 0.14, 5410 / 0.11 किता 5 कुल रकवा 0.91 है0 लगान 8.19 रु पर केशवसिंह दलवीरसिंह प्र0 गण राधेश्याम हिस्सा बराबर जाति जाट नि0 सहारा तह0 किरावली खातेदार रहेगे। 200 रु के नौनजुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द. की जावे।

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 23 / 2018

दर्ज दिनांक:—16.03.2018

1. कमला देवी पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

योगेश कुमार

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा वाद ग्रस्त आरजी के विधिवत आराजी की है। जिसमे समस्त सह खातेदार आवश्यक पक्षकार होते है। परन्तु वादिया द्वारा प्रेमवती पत्नि विजयसिंह दीपक पुत्र विजयसिंह व जयसिंह पुत्र रामसिंह को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। दावा वादिया नोन जोइन्डर ऑफ नेशेसरी पार्टी के दोष से ग्रसित है। अतः दावा वादिया खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादिया खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/40/2016

दर्ज दिनांक:-21.04.2016

1. सुरेन्द्र सिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. गंगाराम पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

विमलसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट हथैनी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित न हाने से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र वादी स्वयं उपस्थित वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता। खारिज किया जावे।

दावा वादी विद्धो किये जाने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./44/2017

दर्ज दिनांक:-21.06.2017

1. रबीना पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. भजनलाल पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

बृजभानसिंह फौजदार

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-22.06.2018

दिनांक:-23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट हथैनी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित न हाने से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./05/2016

दर्ज दिनांक:-01.01.2016

1. सूरजमल पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. पदमसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सोनीराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-22.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट हथैनी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 01.01.2016 के अनुसार अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टर एडी से कराये हाने के आदेश है। किन्तु लगभग 30 माह बाद भी न्यायालय के आदेश की पालना न करना अपत्तिजनक है। अतः न्यायालय के ओदश की अपालना करने व अब तक अप्रार्थीगण की लवी न करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओ.9. नियम.5.सी.पी.सी. के प्रावधानों क तहत खारीज किया जाता है। न्यायलय द्वारा जारी एक दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./111/2016

दर्ज दिनांक:—08.09.2016

1. मुकेश कुमार पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. उदयराम पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—22.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट हथैनी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रवाली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./111/2016

दर्ज दिनांक:—08.09.2016

1. मुकेश कुमार पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. उदयराम पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—22.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट हथैनी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रवाली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./61/2017

दर्ज दिनांक:-27.07.2017

- | | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. सत्यदेव | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. रामस्वरूप | पता— |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:
तालेराम

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-22.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट हथैनी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रवाली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./72/2017

दर्ज दिनांक:-05.09.2017

1. होरीलाल पता—प्रार्थी
बनाम
2. मुन्शीसिंह पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:
सुरेशचंद्र

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-22.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट हथैनी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रवाली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय / 1अ / 2018

दर्ज दिनांक:—02.02.2018

- | | | | |
|------------|------|------|------------------|
| 1. अमरचंद | पता— | बनाम |प्रार्थी |
| 2. भूपसिंह | पता— | |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:

सोनीराम शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—22.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट हथैनी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन होने से पालना स्थगित की जाती है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./95/2016

दर्ज दिनांक:-03.08.2016

1. जितेन्द्रसिंह पता—प्रार्थी
बनाम
2. फत्ते उर्फ फतेहसिंह पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:

पुष्पेन्द्रसिंह गुर्जर

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-22.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट हथैनी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 03.08.2016 के अनुसार अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टर एडी से कराये जाने के आदेश है। किन्तु लगभग 23 माह के बाद भी अप्रार्थीगण की तलवी नहीं कराई जाना आपत्तिजनक है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेशों की अपालना में प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेशों की अपालना में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA ओ.9.नियम.5.सी.पी.सी में वाणित प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय टी.आई. निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 147 / 2013

दर्ज दिनांक:—30.10.2013

- | | | | |
|--------------|------|------|------------------|
| 1. एंवसिंह | पता— | बनाम |प्रार्थी |
| 2. रमेश चन्द | पता— | |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:

कृष्ण कुमार सिंघल

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। वादीगण उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहते। खारिज किया जावे।

अतः दावा वादीगण विद्घो किये जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 23 / 2016

दर्ज दिनांक:—12.02.2016

- | | | | |
|-------------|------|------|------------------|
| 1. प्रेमवती | पता— | बनाम |प्रार्थी |
| 2. रामरती | पता— | |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:

दिनेश श्रीवास्तव

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। प्रार्थिया स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहती।

चूंकि प्रार्थिया अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहती। दावा वादिया विद्रो किये जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 12 / 2012

दर्ज दिनांक:—02.03.2012

- | | | | |
|--------------|------|------|------------------|
| 1. रामबाबू | पता— | बनाम |प्रार्थी |
| 2. करतारसिंह | पता— | |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:
प्रतापसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया वादी को वाद ग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 2,3,4,5 की सहमती व राजीनामा से न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.03.2001 से प्राप्त हुई है। यदि वादी इस निर्णय से असंतुष्ट है तो वह इस निर्णय / डिक्री के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने में स्वतंत्र है। दावा वादी प्रमाणित नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./06/2012

दर्ज दिनांक:-02.03.2012

- | | | | |
|--------------|------|------|------------------|
| 1. रामबाबू | पता- | बनाम |प्रार्थी |
| 2. करतारसिंह | पता- | |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:
प्रतापसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। मूल दावा खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रा.पत्र u/s 212 RTA भी खारिज/निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./55/2014

दर्ज दिनांक:-05.08.2014

1. प्रेमसिंह पता-प्रार्थी
बनाम
2. भूरीसिंह पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:
राजेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। यह प्रार्थना पत्र टी.आई. प्रार्थना पत्र सं. 129/2014 के साथ समेकित किया जाता है। तदानुसार निर्णित किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 75 / 2014

दर्ज दिनांक:—05.08.2014

1. प्रेमसिंह पता—प्रार्थी
बनाम
2. भूरीसिंह पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:
राजेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। यह राजस्व दावा सं० 145 / 2014 में समेकित किया जाता है।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./84/2016

दर्ज दिनांक:-21.07.2016

1. मोती पता-प्रार्थी
बनाम
2. चरनसिंह पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपमन

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 21.07.2016 के अनुसार अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टार एडी से कराने के आदेश है। किन्तु 2 वर्ष बाद भी न्यायालय के ओदशों की पालना न करना आपत्ति जनक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय के आदेश की अपालना में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05 के तहत खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 21.07.2016 निरस्त की जाती है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./122/2016

दर्ज दिनांक:-23.09..2016

1. मांगी पता-प्रार्थी
बनाम
2. किशोरी पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्र कुमार पोहिया

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। यह प्रार्थना पत्र टी.आई. प्रार्थना पत्र टी.आई. संख्या 46/2017 में समेकित किया जाता है। निर्णित किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./46/2017

दर्ज दिनांक:-2017

1. किशोरी पता-प्रार्थी
बनाम
2. मंगी पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेन्द्र सिंह

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में ख.नं. 530/0.13 ग्राम नगला गुलाबी विवादित है जो पहले किशोरी वगै. के नाम था अब मांगीलाल के नाम है। इसलिए उभयपक्षों को ताफैसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खं. न. 530/0.13 है0 वाके ग्राम नगला गुलाबी तह0 भरतपुर के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./100/2017

दर्ज दिनांक:-08.11.2017

1. विशनू पता-प्राथी
बनाम
2. गुलाबसिंह पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:
राजेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-27.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बहनेरा पर पेश। मूल दावा प्राथमिक डिक्री हो चुका है। अतः मूल दावा अन्तिम डिक्री होने तक उभयपक्ष करान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./78/2017

दर्ज दिनांक:-19.09.2017

1. अमरसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. मूलसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

जितेन्द्र कुमार कर्दम

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-27.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बहनेरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। मूल दावा प्राथमिक डिक्री हो चुका है। अतः ताफैसला मूल वाद उभयपक्ष करान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./02/2015

दर्ज दिनांक:-20.01.2015

1. रामसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. नत्थी पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपमन

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-27.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बहनेरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथन पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं हैं अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./26/2017

दर्ज दिनांक:-16.05.2017

1. रामवती पता-प्रार्थी
बनाम
2. आशा देवी पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

गोविन्दसिंह डागुर

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-27.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बहनेरा पर पेश। मूल दावा प्राथमिक डिक्री हो चुका है। अतः मूल दावा अन्तिम डिक्री होने तक उभयपक्षकरान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./131/2016

दर्ज दिनांक:-14.10.2016

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. बलवीर | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. मेहनसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:
दुलीचन्द

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-27.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बहनेरा पर पेश। मूल दावा प्राथमिक डिक्री हो चुका है। अतः ताफैसला मूल वाद उभयपक्ष करान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./131/2016

दर्ज दिनांक:-14.10.2016

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. बलवीर | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. मेहनसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:
दुलीचन्द

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-27.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बहनेरा पर पेश। मूल दावा प्राथमिक डिक्री हो चुका है। अतः ताफैसला मूल वाद उभयपक्ष करान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/99/2011

दर्ज दिनांक:-22.12.2011

- | | | | |
|------------|------|------|------------------|
| 1. हिमांशु | पता- | बनाम |प्रार्थी |
| 2. मानसिंह | पता- | |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:

गजेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-27.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बहनेरा पर पेश। पटवारी/तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट के अनुसार वादी ने वाद ग्रस्त आराजी में से अपना 2/3 हिस्सा बेच दिया है। ऐसी स्थिति में कुरा रिपोर्ट तैयार किया जाना सम्भव नहीं है।

चूंकि वादी ने वाद ग्रस्त आराजी का स्वयं का हिस्सा बेच दिया है। क्रेता द्वारा मुकदमा में पक्षकार बनने की प्रक्रिया भी नहीं की गई है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी कुरा किया जाना सम्भव नहीं है। अतः दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.पत्र/123/2016

दर्ज दिनांक:-27.09.2016

1. भूपसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपमन

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन रिकार्ड से प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। अदालत हाजा को पूर्व जारी एक पक्षीय T.I. निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा. द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.पत्र/238/2008

दर्ज दिनांक:—06.10.2008

1. शोभाराम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह डागुर

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—30.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट सुनारी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.पत्र/48/2012

दर्ज दिनांक:—01.06.2012

1. धनेश चन्द पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. अधिशाषी अभियन्ता पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह डागुर

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—30.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट सुनारी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.पत्र/63/2017

दर्ज दिनांक:-29.08.2017

1. प्रेमसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह डागुर

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-30.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट सुनारी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा. द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.पत्र/52/2015

दर्ज दिनांक:-13.07.2015

1. अशरफी पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. सूखा पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह डागुर

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-30.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट सुनारी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा. द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.पत्र/307/2012

दर्ज दिनांक:-25.10.2012

1. चन्द्रभान पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. किशनलाल पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दुलीचंद शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-25.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मडरपुर पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी के रिकोर्ड खातेदार है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थीगण के ख.नं. 510/823 से अप्रार्थीगण का विवरण ख.नं. 510 है। जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के रकवा पर अतिक्रमण कर दखलंदाजी करना चाहते हैं। अभी मूल दावा का निस्तारण होना है। उभयपक्षकरारान की खातेदारी व कब्जा की बाबत तो दावा में साक्ष्य इत्यादि लेकर मैरिट पर ही विचारणीय है। तब तक मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक इस न्यायालय के पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 25.10.2012 को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 134 / 2017

दर्ज दिनांक:-20.11.2017

1. प्रहलाद पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. जगदीश पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण हाल आ.ख.न. 8412/0.11 है. स्थित ग्राम जघीना न0 4 पर खातेदार का अनुतोष चाहते है। पत्रावली पर उपलब्ध हाल जमाबंदी सं. 2068.71 जघीना न0 4 पर सिवायचक मकबूजा राज. अंकित वादीगण वाद ग्रस्त आराजी के आते कमी है। जबकि नकल खसरा परिवर्तनशील से स्पष्ट है। अतिकामियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। न ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजित होते है। दावा वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रभावित नहीं है। स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 126 / 2014

दर्ज दिनांक:—20.11.2014

1. श्याम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजेश पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—10.07.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट जघीना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार हिदायत के बाबजूद भी प्रतिवादीगण की तलवी नहीं कराई गई है। कई अवसर भी प्रदान कये जा चुके है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति जागरूक नहीं है। अतः दावा वादी ओ.9.नि.5.सी.पी.सी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. इजराय/01/2018

दर्ज दिनांक:-01.2018

- | | | | |
|------------|------|------|------------------|
| 1. फूलसिंह | पता— | बनाम |प्रार्थी |
| 2. स्कार | पता— | |अप्रार्थीगण |

उपस्थित:

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-25.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मडरपुर पर पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण की पालना की जा चुकी है। अतः पालना अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली ड्रॉप की जाती है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/96/2013

दर्ज दिनांक:-19.09.2013

1. अनन्तराम पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. सरकार पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार उपमन

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ऊंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी स्थित ग्राम भरंगपुर जो खाता सं. 4 जमाबंदी संवत 2067-70 किता 26 कुल रकवा 6.34 है. गत रकवा के मुकाबले नक्शे के अनुरूप नहीं है। प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है और न साक्ष्य पेश की है। वादीगण द्वारा गत व हाल नक्शा को पत्रावली पर पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि-

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भरतपुर वाद ग्रस्त आराजी के गत व हाल नक्शा अक्स को एक दूसरे का सुपर इम्पोज कर वादीगण के हाल नक्शा अक्स में दुरस्ती गत नक्शा के अनुरूप इस प्रकार करे कि जिससे कि किसी पड़ोसी कृषक के अथवा राज्य सरकार के रकवे पर कोई विपरीत प्रभाव न आवे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 55 / 2018

दर्ज दिनांक:—13.06.2018

1. हरिओम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. ओमप्रकाश पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

कृष्ण कुमार सिंघल

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—13.07.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी सं. 1,4,5,6 उप0/वादीगण व उनके वकील को बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.पत्र / 35 / 2018

दर्ज दिनांक:—13.06.2018

1. हरिओम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. ओमप्रकाश पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

कृष्ण कुमार सिंघल

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—13.07.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी तदानुसार ही खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 05 / 2016

दर्ज दिनांक:—01.01.2016

1. छीतरसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. असमान पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

नरेन्द्रपालसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—13.07.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील व उनके अभिभाषक को रूक—रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित अदालत नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 15 / 2015

दर्ज दिनांक:—27.05.2015

1. करतारसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. नन्दन पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्रसिंह

उदयसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—20.07.2018

वकील उभयपक्ष उप0/प्रतिवादी सं. 03 से 06 की तलवी रजिस्टर से कराये जाने हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। किन्तु पालना नहीं की गई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। अतः दावा वादी ओ.9—नियम 5 सी.पी.सी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 41 / 2016

दर्ज दिनांक:—21.04.2016

1. महेन्द्रसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. श्रीमति मिनसा सरपंच ग्राम पंचायत खैमरा

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सोनीराम

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—20.07.2018

वकील वादीगण उप0। बार—बार मौका देने के बाद भी प्रतिवादीगण की तलवी नहीं कराई गई है। तलवी हेतु कई अवसर दिये गए हैं। प्रतीत होता है कि वादीगण अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। अतः दावा वादीगण ओ.9—नियम 5 सी.पी.सी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.पत्र / 34 / 2016

दर्ज दिनांक:—21.04.2016

1. महेन्द्रसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. श्रीमति मिनसा सरपंच ग्राम पंचायत खैमरा

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सोनीराम

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—20.07.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अपालना में खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA भी अपालना में खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 21.04.2016 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 84 / 2016

दर्ज दिनांक:—31.07.2018

1. अतरसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. धर्मपाल पता—

.....अप्रार्थीगण

हरिदत्त शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—31.07.2018

वकील वादीगण उप0। बार—बार के बाबजूद तलवी प्रतिवादीगण की नही कराई गई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया है। किन्तु पालना नहीं की गई है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी अन्तर्गत ओ.9—नियम 5 सी.पी.सी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 173 / 2016

दर्ज दिनांक:—31.07.2018

1. संजय पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. सुनीता पता—

.....अप्रार्थीगण

रूपेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—31.07.2018

वकील वादीगण उप0 / तलवी प्रतिवादीगण की रजिस्टर एडी से कराने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। इस बाबत कई अवसर भी दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 09.07.2018 को दावा अपालना में खारिज करने की भी चेतावनी दी गई है किन्तु पालना नहीं की गई है। प्रतीत होता है कि वादीगण अपने दावा में रूचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अन्तर्गत ओ.9—नियम 5 सी.पी.सी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/46/2017

दर्ज दिनांक:-31.07.2018

1. हरीसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. करतार पता-

.....अप्रार्थीगण

हरिदत्त शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-31.07.2018

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 404 / 2008

दर्ज दिनांक:—22.04.2018

1. रमेशसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

गम्भनसिंह

सोनीराम

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—30.07.2018

पत्रावली पेश। वादी व उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। अतः दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 88 / 2017

दर्ज दिनांक:—29.08.2017

1. रामकिशन पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. भगवानदेई पता—

.....अप्रार्थीगण

सुगडसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। अतः दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 65 / 2016

दर्ज दिनांक:—09.06.2016.

1. समुन्दरसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. नरेन्द्र अरोड़ा पता—

.....अप्रार्थीगण

सोनीराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—07.08.2018

वकील प्रार्थी उप0 / कई अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थीगण की तलवी नहीं कराई गई है। तलवी हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं। दिनांक 01.02.2018 को भी अपालना में प्रार्थना पत्र खारिज करने की चेतावनी भी दी गई है। किन्तु पालना नहीं की गई। प्रतीत होता है कि प्रार्थी को अपने प्रार्थना पत्र में कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आ.—9—नि.—5सी.पी.सी. के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 117 / 2015

दर्ज दिनांक:—12.10.2015

1. महेश चन्द्र पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजेन्द्र सिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

सुरेन्द्रसिंह

महेशचन्द्र

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—07.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। अतः दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 83 / 2015

दर्ज दिनांक:—12.10.2015

1. महेश चन्द्र पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजेन्द्र सिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

सुरेन्द्रसिंह

महेशचन्द्र

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—07.08.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA भी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 12.10.2015 निरस्त की जाती है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 75 / 2012

दर्ज दिनांक:—08.06.2012

1. हुकमसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. लक्ष्मण सिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

सोनीराम शर्मा

प्राथी अभिभाषक

दिनेश शर्मा

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—10.08.2018

पत्रावली पेश हुई। आदेशिका दिनांक 19.05.2018 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु हो चुकी है किन्तु इनके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने बाबत अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही सी.पी.सी में वाणिज्य प्रावधानुसार को फौती कार्यवाही हेतु कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति दावा अवेट होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 398 / 2008

दर्ज दिनांक:—05.11.2008

1. तेजसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. बदन सिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

सी.एम.गुप्ता

सोमदत्त

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—15.08.2018

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/88/2017

दर्ज दिनांक:-29.08.2017

1. रामकिशन पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. भगवान देई पता-

.....अप्रार्थीगण

सुगडसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-02.08.2018

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 44 / 2012

दर्ज दिनांक:—10.05.2012

1. रूपराम पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. उदयराम पता—

.....अप्रार्थीगण

सोनीराम

प्राथी अभिभाषक

लोकेन्द्र

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—10.08.2018

वकील उभयपक्ष उप./ पत्रावली दिनांक 16.04.2014 से तरमीम शीर्षक पेश करने में लगी हुई है किन्तु 4 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी शीर्षक पेश नहीं किया गया है। दिनांक 08.09.2016 को शीर्षक पेश करने पर दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी गई है। फिर भी पालना नहीं की गई है। अतः दावा वादी अन्तर्गत नियम 09 आदेश 5 सी.पी.सी. के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 199 / 2007

दर्ज दिनांक:—24.09.2007

1. करनसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. कल्याण सिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

भूपत कुमार जैन

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—13.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वादी करनसिंह की मृत्यु होने पर इनके कायम मुकाम हेतु पत्रावली पर कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं है। अभी तक वादी के फोट होने पर प्रा. पत्र ओ.-22.नि.3 सी.पी.सी. भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी अवेट होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 117 / 2016

दर्ज दिनांक:-03.08.2016

1. जितेन्द्रसिंह पता-प्रार्थी
बनाम
2. फत्ते सिंह पता-अप्रार्थीगण

पुष्पेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-14.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 117 / 2015

दर्ज दिनांक:—12.10.2015

1. महेश चन्द्र पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजेन्द्र सिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

सुरेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

महेश चन्द्र

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—07.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 56 / 2016

दर्ज दिनांक:—23.05.2016

1. रघुवीर पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. गोवर्धन पता—

.....अप्रार्थीगण

सहाबसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—07.08.2018

आज यह पत्रवाली वादी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता दावा को नोट प्रेस में खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थी को सुना। पत्रवाली का अवलोकन किया। वादी अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता। दावा वादी नोट प्रेस किये जाने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रवाली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प. 90 / 46 / 2016

दर्ज दिनांक:—23.05.2016

- | | | |
|------------|------|------------------|
| 1. रघुवीर | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. गोवर्धन | पता— |अप्रार्थीगण |

सहाबसिंह

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—07.08.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा नोट प्रेस में खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। न्यायालय जारी पूर्व एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 23.05.2016 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 79 / 2013

दर्ज दिनांक:—13.06.2013

- | | | |
|---------------|------|------------------|
| 1. नरेशसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. यदुवीरसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

सहाबसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—14.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्रा.प./70/2013

दर्ज दिनांक:-13.06.2013

- | | | |
|---------------|------|------------------|
| 1. नरेशसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. यदुवीरसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

सहाबसिंह

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-14.08.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी तदनुसार खारिज किया जाता है। न्यायालय जारी पूर्व एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 13.06.2013 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्रा.प./172/2004

दर्ज दिनांक:-01.10.2004

1. लक्षमन पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. सोहनलाल पता-

.....अप्रार्थीगण

भीमसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-14.08.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा स्वीकार निर्णित किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी तदनुसार निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 127 / 2016

दर्ज दिनांक:-22.08.2016

1. लक्ष्मनसिंह पता-प्रार्थी

बनाम

2. तहसीलदार भरतपुर एवं अन्य
पता-

.....अप्रार्थीगण

पुष्पेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-20.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 116 / 2014

दर्ज दिनांक:—01.10.2014

- | | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. हुब्बी | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. जोगेन्द्र सिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

दिलीपसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—16.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 451 / 2012

दर्ज दिनांक:—04.12.2012

1. तोरनसिंह पता—प्राथी
बनाम
2. रमनलाल पता—अप्रार्थीगण

ललता प्रसाद

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—21.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./06/2017

दर्ज दिनांक:-18.01.2017

1. अनिल कुमार पता-प्राथी
बनाम
2. नैमीचन्द पता-अप्रार्थीगण

सुगडसिंह देशवार

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-21.08.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा पूर्व में निर्णित हो चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र भी तदनुसार निर्णित किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 11 / 2014

दर्ज दिनांक:—21.01.2014

- | | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. ज्ञानसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. श्रीमति मुक्ती | पता— |अप्रार्थीगण |

भूपत जैन

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—21.08.2018

वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की तलवी रजिस्टर एडी से कराये जाने के आदेश हैं। किन्तु बार-बार मौका दिये जाने के उपरान्त भी तलवी नहीं कराई गई है। दिनांक 01.02.2018 को भी तलवी प्रतिवादीगण की न कराने पर दावा वादी अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी जा चुकी है लेकिन पालना नहीं की गई। ऐसी स्थिति में दावा वादी ओ.-9-नि.-05 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./102/2016

दर्ज दिनांक:-12.08.2016

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. हरप्यारी | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. शिवराम | पता— |अप्रार्थीगण |

किशनसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-25.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मडरपुर पर पेश । पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 125 / 2016

दर्ज दिनांक:—12.08.2016

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. हरप्यारी | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. शिवराम | पता— |अप्रार्थीगण |

किशनसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—21.08.2018

वकील वादीगण उपस्थित बार-बार तलवी प्रतिवादीगण को अवसर दिये जाने के बाद भी तलवी नहीं कराई जा रही है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 08.11.2017 को तलवी के अभाव में दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। अतः दावा वादीगण तलवी के अभाव में ओ.-9-नि.-05 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)
सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.पत्र/66/2017

दर्ज दिनांक:—29.08.2017

- | | | |
|------------------|------|------------------|
| 1. राजेन्द्रसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. श्यामसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

महाराजसिंह डागुर

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—30.04.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा खारिज हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 320 / 2012

दर्ज दिनांक:—19.07.2012

1. मोहकमसिंह पता—प्राथी
बनाम
2. राज0 सरकार पता—अप्रार्थीगण

के. के. सिंघल

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 103 / 2012

दर्ज दिनांक:—21.04.2008

- | | | |
|----------------|------|------------------|
| 1. राधेश्याम | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. राजपाल | पता— |अप्रार्थीगण |
| जितेन्द्र सिंह | | प्राथी अभिभाषक |
| भूपेन्द्र सिंह | | अप्राथी अभिभाषक |

निर्णय

दिनांक:—29.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प./67/2012

दर्ज दिनांक:—08.06.2012

- | | | |
|----------------|------|------------------|
| 1. राधेश्याम | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. राजपाल | पता— |अप्रार्थीगण |
| जितेन्द्र सिंह | | प्राथी अभिभाषक |
| भूपेन्द्र सिंह | | अप्राथी अभिभाषक |

निर्णय

दिनांक:—29.08.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA भी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 29 / 2017

दर्ज दिनांक:—10.05.2017

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. मोनूसिंह | पता— |प्राथी |
| | बनाम | |
| 2. चरनसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

हरिदत्त शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—31.08.2018

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। अतः दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./25/2017

दर्ज दिनांक:-10.05.2017

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. मोनूसिंह | पता— |प्राथी |
| | बनाम | |
| 2. चरनसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

हरिदत्त शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-31.08.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA भी तदनुसार खारिज किया जाता है। दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 74 / 2015

दर्ज दिनांक:—13.07.2015

- | | | |
|---------------|------|------------------|
| 1. उम्मेदसिंह | पता— |प्राथी |
| | बनाम | |
| 2. माया | पता— |अप्रार्थीगण |

सोनीराम शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

आज यह पत्रावली वादी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उभयपक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता हमने वादी को सुना। वादी अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता। दावा वादी विद्रो किये जाने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./55/2015

दर्ज दिनांक:-13.07.2015

- | | | |
|---------------|------|------------------|
| 1. उम्मेदसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. माया | पता— |अप्रार्थीगण |

सोनीराम शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक
दिनांक 06.09.2018

निर्णय

आज यह पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। प्रार्थी ने जरिये वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह अपने प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता। अतः खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी का मूल दावा दिनांक 30.08.2018 को विद्धों में खारिज किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी अपने इस प्रार्थना पत्र को भी आगे नहीं चलाना चाहता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना u/s 212 RTA विद्धों किये जाने पर खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./54/2018

दर्ज दिनांक:-16.08.2018

- | | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. मुकेशसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. नर्वदा | पता— |अप्रार्थीगण |

महाराजसिंह डागुर

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 06.09.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA भी तदनुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 100 / 2013

दर्ज दिनांक:—29.09.2013

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. हुब्बलाल | पता— |प्राथी |
| | बनाम | |
| 2. सुभाष | पता— |अप्रार्थीगण |

उदयवीरसिंह
विष्णु कुमार

प्राथी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

वकील वादी उप. / बार—बार हिदायत के बाबजूद भी तलवी प्रतिवादी सं. 01 से 08 की तलवी नहीं कराई गई। तलवी हेतु कई मौके दिये गए किन्तु पालना नहीं की गई। दिनांक 31.07.2018 को दावा अपालना में खारिज किये जाने की थी। चेतावनी दी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादी ओ.9.नि.5.सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/61/2017

दर्ज दिनांक:-29.06.2017

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. भगवानदेई | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. अनीता | पता— |अप्रार्थीगण |

दिनेश श्रीवास्तव

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 323 / 2008

दर्ज दिनांक:—17.07.2008

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. कमलसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. किशनसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

वकील वादी उपस्थिता बार—बार हिदायत देने के बाबजूद भी प्रतिवादीगण की तलवी नहीं कराई गई। रजिस्टर एडी. से तलवी कराने हेतु अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया। किन्तु पालना नहीं की गई। दिनांक 09.07.2018 को भी तलवी के अभाव में दावा को अपालना में खारिज किये जाने की चेतावनी भी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। अतः दावा वादी ओ.9.नि.5.सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 187 / 2008

दर्ज दिनांक:—17.07.2008

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. कमलसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. किशनसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

पत्रावली पेश। मूल दावा अपालना में खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA भी खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय टी.आई. दिनांक 22.07.2008 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 86 / 2018

दर्ज दिनांक:-16.08.2018

1. मुकेशसिंह

पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. नर्वदा

पता-

.....अप्रार्थीगण

महाराजसिंह डागुर

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 06.09.2018

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./26/2014

दर्ज दिनांक:-30.04.2014

1. रतनसिंह

पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. फूलसिंह

पता—

.....अप्रार्थीगण

अर्जुनसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 09.10.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके वकील को बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 357 / 2008

दर्ज दिनांक:-09.10.2007

1. नानगा

पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. रोशन

पता—

.....अप्रार्थीगण

सोनीराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 15.10.2018

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 49 / 2015

दर्ज दिनांक:-21.06.2015

1. घनश्याम

पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. दयाचन्द

पता—

.....अप्रार्थीगण

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 15.10.2018

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को बार—बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 19 / 2017

दर्ज दिनांक:-17.03.2017

1. अमरपाल

पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. जीवनलाल

पता—

.....अप्रार्थीगण

राजेन्द्र सिंह सोनी

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 15.10.2018

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को बार—बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 288 / 2008

दर्ज दिनांक:-20.06.2008

- | | | |
|------------------|------|------------------|
| 1. महाराजसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. साहबसिंह वगै० | पता— |अप्रार्थीगण |

महाराजसिंह डागुर

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 24.09.2018

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को बार—बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्रा.प./161/2008

दर्ज दिनांक:-20.06.2008

- | | | |
|------------------|------|------------------|
| 1. महाराजसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. साहबसिंह वगै० | पता— |अप्रार्थीगण |

महाराजसिंह डागुर

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 24.09.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी तदनुसार खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व जारी एक पक्षीय T.I. भी दिनांक 20.06.2008 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 323 / 2008

दर्ज दिनांक:-17.07.2008

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. कमलसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. किशनसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

महाराजसिंह डागुर

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 14.09.2018

वकील वादीगण उपस्थित बार-बार हिदायत देने के बाबजूद भी प्रतिवादीगण तलवी नहीं कराई गई है। रजिस्टर एडी से तलवी कराने हेतु अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया है। किन्तु पालना नहीं की गई दिनांक 09.07.2018 को भी तलवी के अभाव में दावा को अपालना में खारिज किये जाने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है।

अतः दावा वादीगण ओ.9.नि.5.सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है।
दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्रा.प./187/2008

दर्ज दिनांक:-17.07.2008

- | | | |
|-------------|------|------------------|
| 1. कमलसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. किशनसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

महाराजसिंह डागुर

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 14.09.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अपालना में खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी तदनुसार खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व जारी एक पक्षीय T.I. भी दिनांक 22.07.2008 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्रा.प./134/2014

दर्ज दिनांक:-11.12.2014

- | | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. ग्रामवासी वगै० | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. गंगासिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

तालेराम

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 12.09.2018

पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी तदनुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 151 / 2014

दर्ज दिनांक:-11.12.2014

- | | | |
|----------------------------|------|------------------|
| 1. ग्रामवासी नाहरसिंह वगै० | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. गंगासिंह | पता— |अप्रार्थीगण |

तालेराम

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 12.09.2018

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 52 / 2014

दर्ज दिनांक:-04.06.2014

- | | | |
|-----------------|------|------------------|
| 1. प्रेम | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. शिशुपाल वगै० | पता— |अप्रार्थीगण |

लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 12.09.2018

वकील वादीया उपस्थिता पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार हिदायत देने के बाबजूद भी तलवी प्रतिवादीगण की नहीं कराई गई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी दिये जा चुके हैं। दिनांक 03.01.2016 एवं 11.07.2018 को तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी गई। किन्तु पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में दावा वादिया ओ.9.नि.5.सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्रा.प./96/2015

दर्ज दिनांक:—03.12.2015

- | | | |
|--------------------|------|-----------------------------------|
| 1. साहबसिंह | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. पुष्पेन्द्रसिंह | पता— |अप्रार्थीगण |
| सोनीराम | | प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक |

निर्णय

दिनांक 22.10.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाने के बाद भी उपस्थित नहीं आए। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 148 / 2016

दर्ज दिनांक:-22.09.2016

- | | | |
|---------------|------|------------------|
| 1. किशनलाल | पता— |प्रार्थी |
| | बनाम | |
| 2. विनोद वगै० | पता— |अप्रार्थीगण |

ओकारसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 22.10.2018

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। अतः दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर